न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टी ए/5547/2003/बाडमेर

1. पुरखा पुत्र बुधा जी जाति मेघवाल
2. चौथी देवी पत्नी हीरिया उर्फ हीराराम
3. गोबर राम पुत्र हीरिया उर्फ हीरा राम
4. चैनाराम पुत्र हीरिया उर्फ हीराराम
5. गडूकाराम पुत्र हीरिया उर्फ हीराराम
6. पारसराम पुत्र हीरिया उर्फ हीराराम
7. घेवा राम पुत्र हीरिया उर्फ हीराराम
8. देराम पुत्र बुधाराम
9. लूंबिया पुत्र बुधाराम

समस्त जाति मेघवाल निवासीगण सीणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

अपीलार्थी

बनाम

1. भदिया उर्फ भटाराम पुत्र मोमता
2. नपीया उर्फ नरपतराम पुत्र मोमता

जाति राजपूत निवासीगण सीणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

3. पदमा पुत्र बुधा जी जाति मेघवाल निवासी सीणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वीरेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के निर्णय दिनांक 20–10–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 के पिता मोमता पुत्र साहूजी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी, पदमा पुत्र बुधा व राज्य सरकार के विरूद्ध मौजा सीणेर तहसील सिवाना में स्थित आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 30 बीघा 13 विस्वा के बाबत उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–5–81के द्वारा उक्त वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–7–03के द्वारा अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–10–03 के द्वारा स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करतें हुये प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–5–81 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील

प्राधिकारी बाडमेर के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई थी जिसके विरूद्ध उन्ही के समक्ष धारा 229 के तहत नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके पूर्व निर्णय दिनांक 30–7–03 के निर्णय में प्रथम दृष्टया त्रुटि नहीं होते हुये भी एवं नजरसानी का दायरा सीमित होते हुये भी नजरसानी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर और उसके साथ ही अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधिक भूल की है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने पूर्व निर्णय व डिक्री में प्रथम दृष्टया यह त्रुटि मानी कि वादी ने अपने वाद में विचादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से बाई आप्रेशन अफ ला खातेदारी अधिकारों की मांग की है। प्रतिवादी के द्वारा भी इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलार्थी संख्या 1 ने अपना कोई इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। न ही कोई जबाब दावा ही प्रस्तुत किया। अन्य प्रतिवादीगण ने जो इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत किया है वह पब्लिक पालिसी के विरूद्ध न तो जबाब दावा प्रस्तुत कर सकते और नही इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत करने के बाद वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर दी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा वाद का वाद खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत करना कोई महत्व नहीं रखता। राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह मानने में भूल की है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से कब्जा होने से खातेदारी अधिकार की मांग की है जबकि वादी विवादग्रस्त भूमि पर बुधा पुत्र भेरा का नाम राजस्व रेकार्ड मे बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा गलत दर्ज किया जाना माना है। साथ ही उसका वाद रेकार्ड दुरूस्ती का भी

है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त येाग्य है।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी उन्हें प्रदत्त सहायक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग प्रावधानानुसार ही करेंगे जो वाद सहायक कलेक्टर को सम्बोधित कर पेश किये जाते हैं उनका निस्तारण सहायक कलेक्टर को प्रदत्त शक्यिों का उल्लेख करते हुये करेंगे उपखण्ड अधिकारी के पदनाम से ऐसे वाद निस्तारित नहीं किये जावेंगे। वर्तमान प्रकरण में मूल वाद सहायक कलेक्टर बालोतरा को पेश किया गया है जबकि उसका निस्तारण उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के पद नाम से किया है। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा सेटिलमेन्ट से पूर्व से चला आ रहा है। जहां तक वादी सवर्ण जाति और प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने का प्रश्न है ऐसे हस्तान्तरण पर पाबन्दी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(संशोधित)1964 में लागू की गई है। पूर्व में इन बिन्दुओं पर दोनेां न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किये जाने के कारण प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 के पिता मोमता पुत्र साहूजी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी, पदमा पुत्र बुधा व राज्य सरकार के विरूद्ध मौजा सीणेर तहसील सिवाना में स्थित आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 30 बीघा 13 विस्वा के बाबत उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण

न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–5–81के द्वारा उक्त वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–7–03के द्वारा अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–10–03 के द्वारा स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करतें हुये प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को सिद्ध नहीं मानते हुये वाद को खारिज किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की है। तत्पश्चात नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का प्रथम आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से पारित करना बताया है जबकि सहायक कलेक्टर की हैसियत से निर्णय पारित करना चाहिये था। हम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। निर्णय पारित करने वाले पीठासीन अधिकारी व्यक्ति एक ही हैं मात्र सहायक कलेक्टर की जगह उपखण्ड अधिकारी अंकित कर देने से निर्णय दोषपूर्ण नहीं हो जाता है और इस तकनीकी आधार पर पूर्व में पारित निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा आधार यह लिया गया है कि वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनांक से कब्जा होने के आधार पर बाई आप्रेशन आफ ला खातेदारी अधिकार अर्जित होना जाहिर करने के आधार पर खातेदारी की मांग वादी द्वारा की गई है। यह दोनों ही

आधार विधिसम्मत नहीं हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उसे बाई आप्रेशन आफ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं बल्कि वाद पत्र में यह आधार लिया है कि वादी विवादग्रस्त भूमि पर बुधा पुत्र भेरा का नाम राजस्व रेकार्ड मे बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा गलत दर्ज कर दिया है। साथ ही उसका वाद रेकार्ड दुरूस्ती का भी है। इसलिये नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के दोनों आधार विधि विरूद्ध हैं। नजरसानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying cxercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 C.P.C., it is note permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be appeal in disguise**.**"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए

जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि error apparent from the Face of the Record रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय erroneous decision एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि error apparent from the Face of the Record में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–10–2003 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य